कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 915 दिनांकः– 22/9/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् टोरी से शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **वन विभागीय ज्ञापंक– 4021 व0प0, दिनांक– 24.08.2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 758 दिनांक– 26.07.2016.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय संबंध में सूचित करना है कि वन विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगी गई छः बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक–2160, दिनांक–16.09.2016 द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 3.96 हे0 वन भूमि एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर के पत्रांक– 3005 दिनांक– 08.09.16 द्वारा प्राप्त लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत 15.89 हे0 वन भूमि अपयोजन का समेकित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है। :–

क्र॰	पृच्छा बिन्दु	अद्यतन अनुपालन
1	प्रस्तावित वन भूमि के संदर्भ में FRA, 2006 के अन्तर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र तथा इसके क्रम में की गई बैठकों की कार्यवाही।	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर से प्राप्त क्रमशः उपायुक्त, चतरा एवं लातेहार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं बैठक की कार्यवाही की तीन–तीन प्रति संलग्न कर भेजा जा रहा है।
2	लतेहार वन प्रमण्डल से संबंधित प्रस्ताव में Land Schedule पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि/जंगल–झाड़ का Land Schedule हस्ताक्षरित एवं मोहर सहित तीन प्रतियों में संलग्न।
3	जंगल–झाड़ भूमि के संबंध में उपायुक्त, लातेहार का अनापति प्रमाण पत्र।	इस कार्यालय पत्रांक 758 दिनांक 26.07.16 के साथ प्रेषित मूल प्रस्ताव में आयुक्त, पलामू

		प्रमंडल द्वारा निर्गत 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी गैर मजरूवा भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रेषित है। पुनः तीन प्रति में संलग्न कर भेजा जा रहा है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर द्वारा उल्लेखित किया गया है कि आयुक्त, पलामू प्रमंडल की अनापत्ति के उपरान्त उपायुक्त, लातेहार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4	प्रस्तावित वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि लातेहार–15.89 हे0 (15.86 हे0 अधिसूचित वन भूमि एवं 0.03 हे0 जंगल–झाड़ी) में कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है। तदनुसार 13 गांव / पी0एफ0 मे Aligment में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची शून्य दर्शाते हुए प्रतिवेदन संलग्न है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस परिक्षेत्र के चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि पर एक भी वृक्ष काटे जाने आवश्यकता नहीं है।
5	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 932 दिनांक 05.08.16 द्वारा लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत वन्यप्राणी से संबंधित मंतव्य आपको पेषित है। पुनः उनके मंतव्य की छायाप्रति इस पत्र के साथ तीन प्रतियों में संलग्न है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन हजारीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य वन संरक्ष, प्रादेशिक अंचल, चतरा का मंतव्य अप्राप्त रहने के कारण अलग से प्रतिवेदित की जायेगी। उन्हें निर्देशिक किया गया है।
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल हेतु संबंधित Part - IIIA	पृच्छित बिन्दु पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने प्रतिवेदित किया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, चूँकि भारत सरकार का

		राजपत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) का अधिसूचना, दिनांक–14.03.2014 के अनुसार पार्ट–III संबंधित वन संरक्षक को भरना है। इस नये दिशा–निर्देश में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हेतु कोई विहित प्रपत्र नहीं है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर के प्रतिवेदन से अद्योहस्ताक्षरी सहमत है। इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची की सहमति संचिका पर प्राप्त कर ली गयी है।

अतः यथोचित कार्रवाई हेतु उक्त अनुपालपन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन

22/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

कार्यालय – मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-223690, Email – cfchatra@gmail.com

झारखण्ड सरकार

पत्रांक – 2166 दिनांक – 21-09-2016

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग रीजन हजारीबाग।

विषय– टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेवले लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार, वन प्रमण्डल एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका ज्ञापांक 2062 दिनांक 07.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या–वनभूमि–19 / 2016–4021 व0प0 रॉची दिनांक 24.08.2016 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं में चतरा अंचल से संबंधित बिन्दुओं (क) (ख) (ग) (घ) एवं (च) का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 2099 दिनांक 09.09.2016 द्वारा आपके कार्यालय में समर्पित किया गया है, साथ ही साथ बिन्दु संख्या– (ड) का निराकरण प्रतिवेदन अलग से भेजने का उल्लेख किया गया था।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या–वनभूमि–19 / 2016–4021 व0प0 रॉची दिनांक 24.08.2016 द्वारा लंबित पृच्छित बिन्दु (ड), मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का मंतव्य के संदर्भ में, प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 841 दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वनभूमि हेतु के लिए कोई दिशा निर्देश दिया जाता है तो उसका अनुपालन रेलवे करेगी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2889 दिनांक 21.09.2016 द्वारा वांछित अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिये गये वचनबद्धता से वन प्रमण्डल पदाधिकारी भी सहमत है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी भी सहमत है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित बिन्दु संख्या – (ड) से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

21/9/16

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

	पूर्व मध्य रेलवे (निर्माण संगठन)	कार्यालय उप मुख्य अभियंता(निर्माण)/3 हजारीबाग
पत्रांक-डीसीई/नि0/हजारीबाग/एफ.सी/टी.एस./भाग-IV/841/		दिनांक 21.09.2016

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल

विषयः- वन संरक्षण अधिनियम,2006 के तहत् टोरी से शिवपुर नई बी.जी. रेल लाइन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः-(i) उप सचिव,वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,झारखंड सरकार का पत्रांक- वन भूमि-19/2016/4021/व0प0,दिनांक 24.08.2016
(ii) उपायुक्त,चतरा का पत्रांक- 803"A"/रा0,दिनांक 27.08.2016.
(iii) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र , दिनांक 08.09.2016.
(iv) आपका ज्ञापांक 2456, दिनांक 03.08.2016.
(v) आपके साथ दूरभाष पर दिनांक 20.09.2016 एवं 21.09.2016 को हुई चर्चा के संबंध में।

महाशय,

संदर्भित पत्र (i) के मद सं0(ङ) के संबंध में कहना है कि इससे पहले 197.933 हे0 (चतरा में 27.094हे0) वनभूमि का हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,भारत सरकार(MOEF) के पत्रांक-F No. 8-72/2008-FC, दिनांक 19.06.2013 द्वारा प्रदान कर देने के पश्चात इस रेल परियोजना हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है जिसमें wild life Manangement Plan हेतु प्राप्त दिशा- निर्देशों के अनुपालन हेतु रेलवे अपनी स्वीकृति समर्पित कर चुका है।

उपरोक्त प्रस्ताव भी टोरी से शिवपुर नई बी.जी. रेल लाइन निर्माण का भाग है और इसमें चतरा में 3.96 हे0 में वनभूमि मात्र 0.21हे0 है और बाकि जंगल-झाड़ी है। यद्यपि वनभूमि(0.21हे0) का क्षेत्रफल बहुत कम है फिर भी इस वनभूमि हेतु wild life management plan के लिए कोई दिशा- निर्देश दिया जाता है तो उसका भी अनुपालन रेलवे करेगी।

अतः आपसे आग्रह है कि Forestry Clearance की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु उक्त कागजातों को जल्द से जल्द संबंधित अधिकारी को अग्रसारित किया जाय ताकि रेलवे को वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र शीघ्र प्राप्त हो सके जिससे टोरी-शिवपुर रेल लाइन निर्माण का कार्य समय पर पूरा किया जाय ।

वारिज नयन 21/9/16
(वारिज नयन)
उप मुख्य अभियंता(निर्माण)/3
पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियंता(निर्माण)/मध्य/महेन्द्रूघाट,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यालय – मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-223690, Email – cfchatra@gmail.com
झारखण्ड सरकार

पत्रांक – 2099 दिनांक – 09/09/16

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग रीजन हजारीबाग।

विषय– टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार, वन प्रमंडल एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अन्तर्गत) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 2074 दिनांक 08.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2782 दिनांक 09.09.2016 द्वारा विषयक रेलवे लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव पर झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई से संबंधित निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है जो निम्नवत् है :–

(क) प्रस्तावित वनभूमि के संदर्भ में FRA, 2006 के अंतर्गत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र तथा इसकेक्रम में की गई बैठकों की कार्यवाही – **FRA, 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न है।**

(ख) लातेहार वन प्रमण्डल से संबंधित प्रस्ताव में Land Schedule पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर– **चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।**

(ग) जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, लातेहार का अनापत्ति प्रमाण पत्र – **चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल से संबंधित नहीं है।**

(घ) प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों का गणना सूची – **चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि में एक भी वृक्ष काटे जाने की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रतिवेदन शून्य समझा जाय।**

(ङ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य – **प्रतिवेदन अलग से समर्पित की जायेगी।**

(च) चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल हेतु संबंधित PartIIIA – **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन हजारीबाग के कार्यालय से संबंधित है।**

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

(हस्ताक्षर) 9/9/16

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक................/रा0   दिनांक..............................

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
दक्षिणी वन प्रमंडल,चतरा।

विषयः–वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत चतरा जिला के अंतर्गत टण्डवा प्रखंड में टोरी–शिवपुर रेल लाईन परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत चतरा जिला के अंचल टण्डवा अंतर्गत ग्राम टेकठा में टोरी–शिवपुर रेल लाईन परियोजना हेतु विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र (ग्राम सभा की कार्यवाही सहित) इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
उपायुक्त
चतरा।

ज्ञापांक 803 नि0 /रा0   दिनांक 27/08/2016

प्रतिलिपिः– उप मुख्य अभियंता रेलवे निर्माण–3, पूर्व–मध्य रेलवे हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/16
उपायुक्त
चतरा।

सहायक अभियंता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेलवे हजारीबाग
Asstt. Engineer (Cons.)
E. C. Railway, Hazaribagh

Tori-Shivpur Noc

Annexure-I

FORM-I

(For linear projects)

Government of JHARKHAND

Office of the District Collector

Chatra

*****

No. 804 "A" Dated 27/08/2016

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.96** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **East Central Railway, Hazaribagh** for **Tori-Shivpur Rail Line Project in Chatra district** falls within jurisdiction of **Tektha** village in **Tandwa** tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.96** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure **III**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

27/8/16

Sandeep Singh

सहायक अभियंता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेलवे हजारीबाग
Asstt. Engineer (Cons.)
E. C. Railway, Hazaribagh

Tori-Shivpur Noc

समाहरणालय, चतरा
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनाक–19.08.2016 को अपराहन 3:30 बजे जिला वन अधिकार समिति, चतरा की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमे चतरा जिला अंतर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम टेकठा के 0.21 हे0 वन भूमि एवं 3.75 हे0 गैर मजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि कुल–3.96 हे0 पर टोरी–शिवपुर रेल लाईन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गये वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल वन अधिकार समिति सिमरिया के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा के आधार पर जिला वन अधिकार समिति चतरा द्वारा निम्नांकित ग्राम के वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बैठक आहुत की गई जिसमे निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति

1. अध्यक्ष
   जिला वन अधिकार समिति
   –सह–
   उपायुक्त, चतरा। (19/8/16)
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी
   उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी,
   दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा। (19.8)
4. अपर समाहर्त्ता,
   चतरा। (19/8/16)
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा। (19/8/16)
6. श्री राम टाना भगत
   (सदस्य)
   सिदपा, टण्डवा। (रामटाना भगत)
7. श्रीमति शोभा कुजूर
   (सदस्य)
   कल्याणपुर, टण्डवा।
8. श्री सरयू उरॉव
   (सदस्य)
   सिन्दरीवार, सिमरिया। (सरयु उराँव 19/8/016)

Tori-Shivpur Noc

सहायक अभियंता (निर्माण)
पू० म० रेलवे, हजारीबाग
Asstt. Engineer (Cons.)
E. C. Railway, Hazaribagh

[illegible]	[illegible]	ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	वन भूमि (रकवा हे0 में)	गैर0खास जंगल–झाडी (रकवा हे0 में)	कुल रकवा (रकवा हे0 में)
[illegible]	[illegible]	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	टेकठा	22	95	392	0.21	3.16	3.37
					580	0	0.59	0.59
							कुल योग	3.96

2. सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

3 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि <u>पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग को चतरा जिलान्तर्गत अंचल टण्डवा के ग्राम टेकठा में प्रस्तावित 0.21 हे0 वन भूमि एवं 3.75 हे0 गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी भूमि कुल–3.96 हे0 भूमि पर टोरी–शिवपुर रेल लाईन निर्माण</u> हेतु उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में जिला वन अधिकार समिति, चतरा को कोई आपत्ति नहीं है।

रामेटाना भगत

श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

श्री सरयु उराँव 9/8/016
(सदस्य)
सिंदरीकर, सिमरिया।

जिला कल्याण पदाधिकारी
चतरा।

अपर समाहर्त्ता
चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल,चतरा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

अध्यक्ष, जिला वनाधिकार समिति
–सह–
उपायुक्त, चतरा।

Tori-Shivpur Noc

सहायक अभियंता (निर्माण)
पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग
Asstt. Engineer (Cons)
E. C. Railway, Hazaribagh

आज दिनांक 10/8/2016 को ग्राम टेकठा में अपर समाहर्ता चतरा आदेश पत्रांक 644/रा० दिनांक 19/7/2016 एवं अंचल अधिकारी टण्डवा के ज्ञापांक 750 दिनांक 21/7/2016 के आदेश के आलोक में ग्राम टेकठा थाना सं० 19 के खाता सं० 95 प्लॉट सं० 392 रकबा 0.20 ए० प्लॉट सं० 392 रकबा 3.46 ए० प्लॉट सं० 580 रकबा [illegible] ए० भूमि जो गैरमजरुआ [illegible] किस्म की भूमि को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में की गई जिसमें निम्नलिखित ग्रामीण जनता उपस्थित हुए जिनका हस्ताक्षर निम्नवत् है।

1. मुखिया [illegible] — 10/08/2016
2. रघुनाथ [illegible]
3. जगेश्वर गंझू
4. भोला गंझू
5. संदीप गंझू
6. मुनेश्वर गंझू
7. उगदेव गंझू
8. सुकर गंझू
9. प्रदीप गंझू
10. कुलेसर गंझू
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. [illegible]

रामदेव गंझू

मुखिया ग्राम पंचायत [illegible]

1 प्रस्ताव :- सभी ग्रामीण जनता एकमत होकर कहा कि उक्त भूमि के बीच से रेलवे लाइन बिछाने में आपत्ति नहीं है।

10/8/16

10/8/2016

10/8/16

Asstt. Engineer (Cons.)
E. C. Railway, Hazaribagh

कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग
वन भवन, हजारीबाग,
फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccfhaz@jharkhandmail.gov.in

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : दिनांक :

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय : टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89 हे0 लातेहार, वन प्रमंडल एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में

प्रसंग : आपका कार्यालय ज्ञापांक 852 दिनांक 29.08.2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 2160 दिनांक 16.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या– वनभूमि–19/2016–4021 व0प0 रांची दिनांक 24.08.2016 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं में हजारीबाग परिक्षेत्र से संबंधित बिन्दुओं (क) (ख) (ग) (घ) एवं (च) का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 2160 दिनांक 16.09.2016 द्वारा आपके कार्यालय में समर्पित किया गया है, साथ ही साथ बिन्दु संख्या–(ड़) का निराकरण प्रतिवेदन अलग से भेजने का उल्लेख किया गया था।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या– वनभूमि–19/2016–4021 व0प0 रांची दिनांक 24.08.2016 द्वारा लंबित पृच्छित बिन्दु (ड), मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक का मंतव्य के संदर्भ में, प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक 841 दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वनभूमि हेतु Wild Life Management Plan के लिए कोई दिशा निर्देश दिया जाता है तो उसका अनुपालन रेलवे करेगी। (प्रति संलग्न)

मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक की हैसियत से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिये गये वचनबद्धता से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

अतः कृपया इस संदर्भ में सरकार को शर्त बिन्दु संख्या–(ड़) का भी अनुपालन होने से, अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग रीजन, हजारीबाग।

ज्ञापांक : 2223 दिनांक : 22/09/2016

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची को इस कार्यालय के ज्ञापांक 2160 दिनांक 16.09.2016 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग रीजन, हजारीबाग।

Tori to Sivpur Railway line dt- 22-09-2016